न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़

अपील संख्या 69/2024 पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

1. हरिकेशव पुत्र श्री जगन्नाथ जाति ब्राह्मण आयु करीव 59 वर्ष निवासी ग्राम बावलतहसील बावल जिला रेवाडी (हरियाणा) हाल ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज०

– रिविजनकर्ता

बनाम

1. सचिव, ग्राम पंचायत शाहजहांपुर, पंचायत समिति नीमराना जिला अलवर राज०
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री कृष्ण जोशी
3. उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण जोशी
4. महेंन्द्र कुमार पुत्र श्री कृष्ण जोशी
5. सरोज पुत्री श्री कृष्ण जोशी
6. उर्मिला पुत्री श्री कृष्ण जोशी
7. मीना कुमारी पुत्री श्री कृष्ण जोशी
8. मगजेन्द्र पुत्र सोमदत्त जोशी
9. रविन्द्र पुत्र सोमदत्त जोशी
10. सुनील कुमार पुत्र सोमदत्त जोशी
11. निति कुमार पुत्र सोमदत्त जोशी
12. मन्जू पुत्री सोमदत्त जोशी
13. सुनीता पुत्री सोमदत्त जोशी उर्फ सरिता
14. देवेन्द्र पुत्र सोमदत्त जोशी जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राज०

– रेस्पाडेन्टान

रिविजन विरूद्ध मश्वरे इसके कि ग्राम पंचायत शाहजहपुर के द्वारा पटटा संख्या 21 दिनांक 20–10–1997 को जारी किया गया है को निरस्त कराये जाने हेतु।

निर्णय

दिनांक 26/5/26

अपीलान्ट/निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत शाहजहापुर द्वारा जारी पटटा संख्या 21 दिनांक 20.10.1997 के विरूद्व की गई निगरानी के संक्षपे में तथ्य इस प्रकार से है कि

1. यह कि रिविजन पर कोर्ट फीस दो रूपया चस्पा कर पेश है।
2. यह कि उक्त रिविजन ग्राम पंचायत शाहजहांपुर द्वारा जारी पटटा को निरस्त करने के सम्बन्ध में है जिससे रिविजन न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

3. यह कि रिविजनाधीन पटटा भूमि विक्रय विलेख ग्रांम पंचायत शाहजहांपुर पंचायत समिति नीमराना जिला अलवर तारीख दायर 15–09–1997 पटटा संख्या 21 जो कि दिनांक 10–10–97 तत्कालीन सरंपच द्वारा जारी किया गया है जो किस तारीख के आदेश से जारी किया गया है उसका रिकार्ड कार्यालय ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है तथा उक्त पटटा कतई फर्जी है। जिसके विरूद्ध रिविजन पेश की जा रही है तथा ऐसे फर्जी पटटे को निरस्त कराने हेतु रिविजन के लिए कोई मियाद नहीं होती है। जिससे यह रिविजन अंदर मियाद प्रस्तुत है।
4. यह कि एक जायदाद भूखण्ड पैमाईशी इस प्रकार है कि :–
    - पूर्व से सिरे उत्तर पूर्व से पश्चिम 60 फुट,
    - सिरे दक्षिण पूर्व से पश्चिम 50 फुट,
    - सिरे पूर्व उत्तर से दक्षिण 55 फुट 6 इंच
    - सिरे पश्चिम उत्तर से दक्षिण 55 फुट 6 इंच
    - जिसकी हदूदअर्बा इस प्रकार है कि–
    - तरफ पूर्व को उत्तरी कौने की ओर जायदाद हनुमान का मकान दक्षिणी कौने की ओर जायदाद मकान डॉ रमाकान्त,
    - तरफ पश्चिम को जायदाद का निकास एवं आम रास्ता
    - तरफ उत्तर को रास्ता आम,
    - तरफ दक्षिण को रास्ता आम।
5. यह कि उपरोक्त भूखण्ड का मालिक पूर्व में मदनाल पुत्र प्रभुदयाल ब्राह्मण निवासी शाहजहापुर था जिसने अपने उक्त भूखण्ड को जरिये बयनामा दिनांक 11–08–98 को मिन रिविजनकार को तहरीर करवा कर उसी दिन पंजीयन हतु उपपंजीयक के समक्ष पेश किया। उपंपजीयक नीमराना द्वारा उक्त जायदाद की बाजारू कीमत बयनामा में अंकित कीमत से अधिक मानकर बयनामा को कम्पाउण्ड कर दिया गया जिस पर मिन रिविजनकर्ता (क्रेता) द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा कराने पर दिनांक 14–05–99 को उपपंजीयक नीमराना द्वारा पंजीबद्ध किया गया तब से मिन निगराकार उक्त जायदाद बहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है।
6. यह कि उपरोक्त वर्णित जायदाद की बाबत एक दीवानी वाद सं. 138/89 फौजूराम वादी बनाम मदनलाल ब्राह्मण प्रतिवादी न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बहरोड के समक्ष चला जिस वाद का निर्णय दिनाक 01–11–1991 को हुआ जिसमें फोजूराम का दावा खारिज किया जाकर उक्त जायदाद को मदनलाल ब्राह्मण की मिलकियत की बतायी गई।
7. यह कि प्रतिवादीगण के बुजुर्ग प्रभुदयाल पुत्र जयनारायण जोशी निवासी शाहजहांपुर द्वारा नुमायशी दस्तावेज तैयार कर ग्राम पंचायत शाहजहांपुर से सन् 1994 में पदस्थापित रहे सरपंच से साजबाज होकर आपराधिक कृत्य करते हुए रिविजनकर्ता के खरीदशुदा उक्त भूखण्ड के पश्चिमी भाग का फर्जी पटटा संख्या 21 तैयार करवा दिनाक 20–10–97 डलवाकर हस्ताक्षरित करवा लिया जिसका ज्ञान मिन रिविजनकर्ता

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

को दीवानी वाद सं.20/2000 हरिकेश बनाम प्रभुदयाल में सन् 2010 में प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्शित करवाया गया एवं इस का वाद का निर्णय दिनांक 17–07–2013 को हुआ जिस पर मिन रिविजनकर्ता द्वारा उक्त पटटा के बाबत सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 19–09–2013 को राज्य एवं सूचना अधिकारी एवं खण्ड विकास एवं पचांयत अधिकारी नीमराना को प्रेषित करने पर कार्यालय ग्राम पंचायत शाहजहपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटी आई /37/2013 द्वारा मिन रिविजनकर्ता को चाही गई सूचना का रिकार्ड मिन रिविजनकर्ता को प्रेषित किया गया जिसमें दिनांक 01–10–1995 से 31–12–1997 तक का रिकार्ड मिन रिविजनकर्ता को प्रेषित किया।

8. यह कि मिन रिविजनकर्ता उक्त वर्णित जायदाद मौजूदा रिविजन के द्वारा निरस्त करवाने का अधिकारी है।
9. यह कि विवादित पटटा के बाबत सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मिन रिविजनकर्ता द्वारा चाही गई सूचना का रिकार्ड ग्राम पंचायत शाहजहापुर द्वारा रिविजनकर्ता को उपलब्ध कराया गया, जिसके अवलोकन से यह साबिक है कि विवादित पटटा का कोई विवरण ग्राम पंचायत शाहजहांपुर कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 01–11–1995 से 15–12–1995 में अंकन नही है और ना ही इन तारीखो में विवादित पटटा सं. 21 जारी करने का कोई आदेश ही है। ताईद में ग्राम पंचायत शाहजहांपुर के पत्र क्रमांक एसपीएल–3 दिनांक 17–03–2020 प्रस्तुत है।
10. यह कि पटटा संख्या 21 दिनांक 10–10–1997 को ग्राम पंचायत द्वारा किसी किशोरीलाल पुत्र शेरसिंह मीणा के नाम से जारी किया है, विवादित पटटा संख्या 21 की कोई प्रति ग्राम पंचायत रिकार्ड में नही है।
11. यह कि विवादित पटटा की पटटा फीस की राशि प्रभुदयाल पुत्र जयनारायण जौशी के नाम से ग्राम पंचायत के लेजर में अंकित नही है ना ही पटटा फीस रसीद बुक में अंकित है।
12. यह कि विवादित पटटा यदि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ होता तो पटटे के कॉलम को खाली नही छोडा गया होता बल्कि सनद पटटा संख्या उसका दिनांक, पटटा फीस, रसीद संख्या का भी अंकन किया जाता।
13. यह कि विवदित पटटे के उपर मिसल संख्या के कॉलम में कोई भी मिसल संख्या अंकित नही किया हुआ है, तारीख दायरा, दिनांक 15–09–1997 अंकित है लेकिन उसका कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत में शाहजहांपुर में उपलब्ध नही है।
14. यह किं विवादित पटटा में अंकित स्थल बाबत ग्राम पंचायत शाहजहपुर द्वारा समाचार पत्र में किसी को आपत्ति हो का नोटिस प्रकाशित नही कराया गया है, ना ही कोई मौका रिपोर्ट कमेटी की पंचायत रिकार्ड में है।
15. यह कि विवादित पटटा में पटटा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है। और ना ही पट्टे का आज तक पंजीयन करवाया है। इसलिये यह पट्टा निरस्त होने योग्य है।
16. यह कि विवादित पटटा का कोई रिकार्ड ग्राम पंचायत शाहजहांपुर में नही है ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि विवादित पटटा फर्जी है व प्रारम्भ से ही शून्य हैं जिसे मिन रिविजनकर्ता निरस्त करवाने का अधिकारी है। और विवादित पटटा के अन्तर्गत

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

रेस्पाडेन्ट सं.2ला.14 अथवा इनके बुजुर्ग प्रभुदयाल जोशी को कोई अधिकार पटटा में अंकित स्थल पर आयद नही होते है।

17. यह कि क्रय करने के पश्चात से विवादित पटटा में वर्णित भूखण्ड पर मिन रिविजनकर्ता काबिज है।

18. यह कि विवादित पटटा भूखण्ड से कभी भी रेस्पाडेन्टान या उनके बुजुर्गो का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है तथा उक्त पटटे में दर्शित भूखण्ड मिन रिविजनकर्ता की खरीदशुदा जायदाद का हिस्सा है। रेस्पाडेन्ट उक्त भूमि से गैरवास्ता एवं गैरकाबिज सख्श है तथा उक्त फर्जी पटटे की आड में रेस्पाडेन्ट नाजायज तौर पर कब्जा करना चाहते है जिसका कि उन्हे कोई हक व अधिकार किसी प्रकार का नही है।

19. यह कि रेस्पाडेन्ट के बुजुर्ग प्रभुदयाल जोशी द्वारा रिविजनकर्ता की जायदाद का फर्जी पटटा सं.21 दिनांक 10–10–97 को ग्राम पंचायत शाहजहपुर के तत्कालीन सरपंच से साजबाज मिल्लत करके तैयार किया एवं करवाये जाने पर उसकी जानकारी रिविजनकर्ता को होने पर मिन रिविजनकर्ता ने सन वाद सं. 20/2000 के दौराने साक्ष्य सन् 2010 से प्रदर्शित करवाये जाने पर एवं इसका वाद दिनांक 17–07–13 को विवादित पटटा का हवाला आने पर रिविजनकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत रिकार्ड प्राप्त किया जो दिनांक 19–09–2013 एवं 17–03–2020 को प्राप्त हुआ संदर्भित वाद के बाबत रिविजन में न्ययिक प्रक्रिया रिविजन न्यायलय में लंबित रही और द्वितीय रिविजन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है। रेस्पाडेन्टान द्वारा पटटा का दुरूपयोग कर रिविजनकर्ता को उसकी जायदाद उपर वर्णित से बेदखल करने एवं करवाने एवं बल पूर्वक निर्माण करने की दिनांक 23–09–2021 को धमकी। फर्जी व शून्य पटटे की कार्यवाही कभी की जा सकती है जिसकी कानूनन कोई मियाद नही होती है इस प्रकार यह रिविजन अविलम्ब श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

20. यह कि विवादित फर्जी कथित पटटा ग्राम पंचायत शाहजहपुर का जारी किया है जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से रिविजन न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है।

21. यह कि अन्य उज्जात वक्त बहस जुवानी अर्ज किये जावेगें। अतः रिविजन रिविजनकर्ता पेश कर निवेदन है कि रिविजन रिविजनकर्ता स्वीकार फरमायी जाकर भूमि विक्रय विलेख ग्राम पंचायत शाहजहांपुर पंचायत समिति नीमराना जिला अलवर तारीख दायर 15–09–1997 पटटा संख्या 21 जो कि दिनांक 20–10–97 तत्कालीन सरंपच द्वारा जारी किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

22. नव जिला कोटपूतली–बहरोड़ का सृजन होने के कारण क्षेत्राधिकार में बदलाव होने से पत्रावली जिला कलक्टर अलवर से न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ में प्राप्त हुई तथा न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ से स्थानान्तकरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। निगरानी कार स्वयं एवं उनके अधिववक्ता श्री पंकज कुमार शर्मा उपस्थित आकर गैर निगरानी कर्तागण की तल्बी कराने का निवेदन पर नियमानुसार नोटिस जारी किये गये । गैर निगरानी कर्ता संख्या एक स्वयं उपस्थित आकर जबाब पेश किया तथा अधिवक्ता श्री रामकिशन शर्मा एवं श्रीमती सन्जू यादव द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 2, 3, 4, 8, 9,

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

व 12 की ओर से वकालतनामा एवं संख्या 5 से 7 की ओर से यूटी दी गई। प्रकरण में वकील उभयपक्ष की स्थगन प्रार्थना पत्र बहस सुनकर पटटा संख्या 21 को आगे बेचान/अन्तकरण करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। वकील निगरानीकर्ता/अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र नाम दुरूस्ती अप्रार्थी संख्या 13 बाबत पेश किया। अप्रार्थी वकील अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर एकल बहस सुनकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा अप्रार्थी संख्या 13 के नाम के आगे लाल स्याही पेन से उर्फ सरिता अंकित किया गया। अप्रार्थी संख्या 10 एवं 13 की रजिस्डर्ड तामिल एवं 11 एवं 14 की इंकारी तामिल हो जाने के बावजूद भी उपस्थित नही आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 9 व 12 एवं इनके वकील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया। निगरानीकर्ता वकील ने प्रस्तुत अपील/निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पटटा शुदा भूमि का मूल मालिक पूर्व में मदनलाल पुत्र प्रभुदयाल ब्राह्मण निवासी शाहजहांपुर था। उक्त भूमि के संबंध में एक दीवानी वाद संख्या 138/89 बउनवान फौजूराम बनाम मदनलाल न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहरोड़ के समक्ष चला था, जिसमें दिनांक 01.11.1991 को डिक्री पारित कर उक्त जायदाद को मदनलाल ब्राहम्ण की मिलकियत बताई गई। तदुपरांत, निगरानीकर्ता ने उक्त भूखण्ड को मिन रिविजनकार को जरिए पंजीकृत बयनामा दिनांक 11.08.1998 को किया गया तथा दिनांक 14.05.1999 उपपंजीयक नीमराना द्वारा पंजीबद्व किया गया तब से वह बहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है। बाद में गैर–निगरानीकर्तागण के बुजुर्ग प्रभुदयाल पुत्र जयनारायण जोशी ने तत्कालीन सरपंच से सांठगांठ कर एक कूटरचित/फर्जी तरीके से भूमि का पट्टा संख्या 21 दिनांक 20.10.1997 तैयार करवा लिया। उक्त पटटे के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही जाने पर बताया गया कि ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड अनुसार 15.12.95 से 20.10.97 में कोई पटटा जारी नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायत शाहजहॉपुर द्वारा भी अपने जबाब में उक्त पटटे के संबंध में कोई रिकॉर्ड एवं जारी करने के संबंधित दस्तावेज नही होना बताया है अतः ग्राम पंचायत शाहजहांपुर का पटटा संख्या 21 जो कि दिनांक 20–10–97 तत्कालीन सरंपच द्वारा जारी किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

23. निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, ग्राम पंचायत शाहजहांपुर की रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। पंचायती राज नियमों के तहत किसी भी पट्टे को जारी करने के लिए एक विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है लेकिन उक्त पटटे के जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत शहाजॅहापुर के रिकॉर्ड में ऐसा कोई रिकॉर्ड/दस्तावेज नही पाया गया है। जारी शुदा पटटे के मूल प्रारूप में मिसल संख्या, रसीद संख्या के कॉलम खाली छोड़े गए हैं ना ही ग्राम पंचायत कि रसीद बुक में प्रभुदयाल के नाम पर पट्टा फीस जमा होने का कोई विवरण अंकित है। पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम/नियमों के तहत किसी प्रकार का आपत्ति नोटिस जारी नहीं कराया गया और न ही कोई मौका निरीक्षण रिपोर्ट पंचायत रिकॉर्ड में मौजूद है। पट्टे पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में ग्राम पंचायत के मूल रिकॉर्ड में

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़

इस पट्टे का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। कानून के स्थापित सिद्धांत के अनुसार, जो दस्तावेज मूल रिकॉर्ड से प्रमाणित न हो और जिसमें विधिक प्रक्रिया का पूर्णतः उल्लंघन किया गया हो, वह दस्तावेज प्रारंभ से ही शून्य की श्रेणी में आता है। ऐसे शून्य दस्तावेज को निरस्त कराने के लिए मियाद का नियम भी आड़े नहीं आता है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत शाहजहांपुर, पंचायत समिति नीमराना, जिला अलवर वर्तमान कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा जारी पट्टा संख्या 21, दिनांक 20.10.1997 तारीख दायरा 15.09.1997 को अवैध एवं शून्य मानते हुए निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 26/5/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़